

FORM NO.III


फर्द अहकाम  
( नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ ( राज.)

किशनलाल बनाम रामचन्द्र

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 206/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20/03/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>किशनलाल</u></p> <p>पिता श्री <u>रामचन्द्र गुजर वगैरे (8)</u></p> <p>निवासी-<u>सोव्या</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम ..... स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर...<u>85 86</u> <u>2.2600 0.7100</u></p> <p>कुल कीता <u>02</u> कुल रकबा <u>2.9700</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>सोव्या (पण्ड सोनगर तहसील)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>85 86</u> <u>2.2600 0.7100</u></p> <p>कुल कीता <u>02</u> रकबा <u>2.9700</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>2000/-</u> रुपये अक्षरे <u>शे हजार रुपए</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> <b>(वीनू देयल)</b> <b>सहायक कलक्टर एवं</b> <b>उपखण्ड अधिकारी</b> <b>चित्तौड़गढ़ (राज.)</b></p>